छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अंतर्गत पंजीकृत-पंजीयन क्र.122202498187
[छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत/पृथक अनियमित कर्मचारी का संगठन]
पत्राचार का पता : 189, बजरंग चौक, नहरपारा (कापा) मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004
संपर्क : 6232730999, ईमेल: cgsakm15032022@gmail.com

क्र./पत्र /2025-26/085 दिनांक : 05/11/2025

प्रेसनोट-प्रकाशनार्थ

सरकार के अनदेखी से आहत, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन विशाल प्रदर्शन का आयोजन करेगा

---000---

छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करने सहित विभिन्न मांगो पर सरकार की अनदेखी से आहत है तथा मांगो के लिए दिसम्बर में विशाल प्रदर्शन का आयोजन करेगा| उक्ताशय का निर्णय विगत दिवस फेडरेशन की आयोजित बैठक में लिया गया|

ये अनियमित कर्मचारी विगत 05 वर्ष से लेकर 25-30 साल से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सतत् रूप से कार्यरत हैं किन्तु विडम्बना ही है आज तक “अनियमित कर्मचारी” जैसे शब्दों से तिरस्कृत हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बन्धुआ मजदूर से भी बदतर है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने विवश हैं।

वर्तमान सरकार के मंत्रियों का समर्थन : अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर (चुनाव पूर्व) भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही है।

मोदी की गारंटी 2023 पत्र की गई वादा : छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 पत्र के “वचनबद्ध सुशासन” अंतर्गत बिंदु क्र. 2 में एक कमिटी गठित कर कमेटी में अनियमित कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने का उल्लेख किया है| लेकिन कमेटी गठन आदेश अनियमित कर्मचारियों का कोई उल्लेख नहीं होने एवं कमिटी में अनियमित संघो के पदाधिकारियों को सम्मिलित नहीं करने से विरोधाभाष है|

सतत संपर्क का अनुरोध : मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद् के वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को रखा परन्तु अद्यतन भारतीय जनता पार्टी सरकार के 17 माह पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार अनियमित कर्मचारियों के समस्यों के निराकरण हेतु किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर रही है|

न्यूनतम एवं संविदा वेतन में वृद्धि नहीं: अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों से आधे से भी कम वेतन देने का प्रावधान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एवं संविदा नियम 2012 के तहत है परन्तु न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण 2017 से एवं संविदा वेतन अगस्त 2023 के बाद वृद्धि नहीं की गई है|

अनियमित आन्दोलन कुचलने का प्रयास: अनियमित आन्दोलन को कुचलने धरना स्थल शहर से दूर तुता में निर्धारित किया गया है जबकि अन्य राजनीतिक, सामाजिक, कर्मचारी संगठनों को आदोलन की अनुमति शहर में आयोजित करने अनुमति दी जा रही है|

वेतन के लाले एवं छटनी : वर्तमान में सरकार की अनिर्णय की स्थिति के कारण अनेक विभागों के अनियमित कर्मचारियों को विगत अनेक माह से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, अनेक विभागों में वर्षों से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की छटनी की जा रही है|

प्रमुख मांग :

(01) नियमितीकरण/स्थायीकरण,

(02) निकाले गए कर्मचारियों की बहाली,

(03) न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने,

(04) अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने,

(05) आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद कर विभाग में समायोजन|

प्रदेश के अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारी मांगो को अनदेखा करने से आहत एवं आक्रोशित है|

(गोपाल प्रसाद साहू)
प्रदेश अध्यक्ष
मोबाइल : 6232730999

प्रति,

सम्मानीय/आदरणीय संपादक/संवाददाता
प्रतिष्ठित प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/डिजिटल/वेब मीडिया, छत्तीसगढ़
से अनुरोध कृपया प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे|

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अतर्गत पंजीकृत-पंजीयन क्र.122202498187

[छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत/पृथक अनियमित कर्मचारी का संगठन]

पत्राचार का पता : 189, बजरंग चौक, नहरपारा (कापा) मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004

संपर्क : 6232730999, ईमेल: cgsakm15032022@gmail.com

अन्य अनुपूरक जानकारी:

अनुमानित अनियमित कर्मचारियों किस संख्या :

भाग-एक

1. प्लेसमेंट (आउट सोर्सिंग)-40615
2. ठेका/सेवा प्रदाता-30946
3. मानदेय-44654
4. जॉबदर-6832
5. अंशकालीन-5831
6. दे.वे.भो./कलेक्टर दर /श्रमायुक्त दर श्रमिक-31821
7. संविदा-49935

उपयोग (भाग-एक) – 210634

भाग-दो : न्यूनतम मानदेय एवं जॉब दर पर

8. प्रशिक्षित गौसेवक, PAIW, मैत्री-1200
9. मीटर रीडर-6000
10. कैम्पा सुरक्षा श्रमिक-29
11. आयुष योग प्रशिक्षक - 182
12. पंचायत भृत्य -5000
13. पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर -5654
14. किसान मित्र-9254
15. स्कुल सफाई कर्मचारी-43301
16. मध्यान्न भोजन रसोइया -87025
17. मितानिन-72240
18. आंगनबाड़ी /मिनी कार्यकर्ता -52474
19. आंगनबाड़ी सहायिका -46660
20. राजस्व ग्राम अधिकारी (पटेल)-16000
21. स्वछता दीदी -9000
22. बिहान कैडर-115632
23. (पेपोइंट, बीसी सखी) डिजिटल महिला-5000
24. बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्ता -28
25. दिव्यांग कार्यकर्ता -1600

उप योग (भाग-दो)- 476279

भाग-तीन

26. पृथक अनियमित कर्मचारी- 39934

महायोग- 726847

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अतर्गत पंजीकृत-पंजीयन क्र.122202498187

[छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत/पृथक अनियमित कर्मचारी का संगठन]

पत्राचार का पता : 189, बजरंग चौक, नहरपारा (कापा) मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004

संपर्क : 6232730999, ईमेल: cgsakm15032022@gmail.com

<u>आर्थिक असमानता:</u>

- नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों के मध्य वेतन/मानदेय में अत्यधिक असमानता है|
- नियमित कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 15600 से 56100 (लेवल- 1 से 12) है, साल-दर-साल वेतन वृद्धि होती है, नियत समय में क्रमोन्नति भी होती है| इसके ऊपर डी.ए.(46 प्रतिशत), एच.आर.ए.(6 प्रतिशत), एवं अन्य भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ जैसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति, ग्रेजयूटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति का भी दिया जाता है|
- अनियमित कर्मचारी जैसे आउट सोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी एक मुश्त संविदा वेतन एवं अन्य में एक निश्चित मानदेय प्रचलन में है|
- संविदा एक मुश्त वेतन अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 14400 से 51780 (लेवल- 1 से 12) है| किसी प्रकार की कोई भत्ता नहीं| प्रथम नियुक्ति पर भी यही वेतन एवं जो 5 10, 15, 20, 25 वर्ष कार्य करते हो गए है उन्हें भी यही वेतन मिलता है|

वेतन मैट्रिक्स लेवल	मासिक संविदा वेतन (रु.)	नियमित कर्मचारी हेतु 7वें वेतन संरचना अनुसार वेतन-प्रथम नियुक्ति पर (रु.)	नियमित कर्मचारी को सुविधाएँ
1	14400	15600	• महंगाई भत्ता (44 प्रतिशत) • प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत) • गृह भाडा भत्ता • समूह बीमा • चिकित्सा क्षतिपूर्ति, • अवकाश • ग्रेजयूटी, • पेंशन, • अनुकंपा नियुक्ति
2	14860	16100	
3	16615	18000	
4	18000	19500	
5	20675	22400	
6	23350	25300	
7	26490	28700	
8	32675	35400	
9	35165	38100	
10	39875	43200	
11	45320	49100	
12	51780	56100	

- न्यूनतम वेतन रु. 10900 से 13110 है| न्यूनतम वेतम में विगत 7 वर्ष से वृद्धि नहीं कि गई है| भारत सरकार द्वारा वेतन वेतन संहिता 2020 अधिसूचित किया गया है

पत्राचार का पता : 189, बजरंग चौक, नहरपारा (कापा) मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004

संपर्क : 6232730999, ईमेल: cgsakm15032022@gmail.com

उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी वेतन नियम 2021 बनाये जाना प्रक्रियाधीन है|

श्रमिकों का वर्ग	जोन	प्रतिमाह कुल वेतन (रु.)
अकुशल	अ	10900
	ब	10640
	स	10380
अर्द्धकुशल	अ	11550
	ब	11290
	स	11030
कुशल	अ	12330
	ब	12070
	स	11810
उच्चकुशल	अ	13110
	ब	12850
	स	12590

- मानदेय रु. 1000 से 25000 तक प्रतिमाह है| जैसे; किसान मित्र-1000 रु., मध्यान्न रसोइया-2000 रु., पंचायत भृत्य एवं कंप्यूटर ओपेरटर-1500 से 5000 रु., पोटाकेबिन भृत्य/अनुदेशक/शिक्षा दूत/स्थानीय अतिथि शिक्षक/ट्यूटर शिक्षक/शिक्षा मितान-4000 से 15000 रु., कैम्पा सुरक्षा कर्मी-6000 रु. बिहान कैडर (पीआरपी, ऍफ़एलपीआरपी., आरबीके, बैंक मित्र, सक्रिय महिला, कृषि मित्र, पशु मित्र)- 1750 से 20000 रु., मेहमान प्रवक्ता-15000 रु.
- जॉब दर : गौसेवक, पीएआईडब्ल्यू, मैत्री, वेक्सिन वाहक, मीटर रीडर, मितानीन, मितानिन प्रशिक्षक को कार्य के आधार पर 1500 से 15000 रु.

<u>माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुरूप वेतन/मानदेय वृद्धि एवं श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं:</u>

- संविदा या एकमुश्त संविदा वेतन पर कार्यरत (आउट सोर्सिंग-प्लेसमेंट, मानदेय) अनेक विभाग में योजना-परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है|
- इसी प्रकार दैनिक/मासिक (दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक) वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रु. 4000/- श्रम सम्मान राशि भी अनेक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है|
- ग्राम अधिकारी राजस्व/पटेलों के प्रतिमाह राशि रु. 3000/- दिए जाने बजट में प्रावधान/घोषणा के बावजूद प्रदाय नहीं किया जा रहा है|

GSahu

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अतर्गत पंजीकृत-पंजीयन क्र.122202498187

[छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत/पृथक अनियमित कर्मचारी का संगठन]

पत्राचार का पता : 189, बजरंग चौक, नहरपारा (कापा) मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004

संपर्क : 6232730999, ईमेल: cgsakm15032022@gmail.com

(गोपाल प्रसाद साहू)

प्रदेश अध्यक्ष

मोबाइल : 6232730999